न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/111/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/379

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री बाबूसिंह,
नि. ग्राम बासकरनावत, पोस्ट–नीमूचाना, ग्राम पंचायत–बासदयाल
तहसील–बानसूर, जिला–अलवर (राज.)–301024

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 06.09.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.10.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 25.07..22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बासदयाल, बानसूर ½ राशनडीलर ओमीसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत के सबंध में बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 29.08.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2432 दिनांकः 10.10.22 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील व प्रत्यर्थी द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत जवाब का समग्रतापूर्वक मनन/परीक्षण किया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 25.07.2022 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्तर्गत जारी नोटिस के अनुक्रम में इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को प्रति प्रेषित की गई है जो उचित नहीं है।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही/निर्णय दिनांकः 22.09.22 की प्रति प्रेषित कर सूचित किया जा चुका है। अतः **उक्त आलोक में अपील अस्वीकार कर खारिज की जाकर निस्तारित** जाती है।
9. उक्त के अतिरिक्त लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
10. आज दिनांकः 10.10.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)